तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 23/2026 बउनवान महेन्द्र व अन्य बनाम मौहम्मद मंजूर वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.,

प्रथम लिंक अधिकारी

:

–:आदेशः–

दिनांक 20.05.2026

उपस्थिति–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया।
2. रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब, बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी तहसील धनाऊ के पटवार मंडल–सावा में मौजा राजस्व ग्राम–सिलोरों की बस्ती में मुल खसरा संख्या 10 रकबा 201–02 बीघा का आया हुआ था। वर्तमान में खसरे का विभाजन अर्थात् रास्ता का इन्द्राज होने से नवीन खसरा संख्या 1021/10, 1022/10 उक्त उत्तरदाता संख्या 01 के खातेदारी का आया हुआ है और उक्त खसरे में अपीलान्ट्स के द्वारा धारा 251–A, R-T- Act के तहत एक आवेदन संख्या 52/2024 अनवान उम्मेदा बनाम मोहम्मद मंजूर के रुप में उत्तरदाता संख्या 01 के खातेदारी खेत से न्यायालय के आदेश से रास्ता प्राप्त किया है। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद और रास्ते की तरमीम नक्शे में हो गयी, जिस पर रास्तें का खसरा संख्या 1020/10 है। लेकिन उत्तरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलान्टगण को रास्ता नही देने और रास्तें को खुला नही करने की नीयत से अपीलान्टगण के विरुद्ध सहायक कलक्टर महोदय, चौहटन के न्यायालय में एक वाद धारा 188 R-T- Act के तहत पेश किया गया और साथ में एक आवेदन भी धारा 212 R-T- Act के तहत पेश किया गया और एक पक्षीय बहस कर दिनांक 06–08–2018 को स्थगन प्राप्त कर लिया गया। और बाद मे उक्त वाद में अपीलान्टगण के विरुद्ध उचित रुप से तलबी नही करवा कर एकपक्षीय कार्यवाही करवा कर दिनांक 07–02–2025 को मूल वाद के निर्णय तक स्थगन को कन्फर्म करवा दिया गया। उत्तरदातागण के द्वारा अपीलान्टगण को उक्त वाद के बारे में किसी प्रकार की जानकारी होने भी नही दी गयी और किसी प्रकार की तलबी का कोई नोटिस प्राप्त ही नही होने दिया गया था। ग्रामीण इलाके में डाक समय पर नही मिलती है और सही रुप से वादी के द्वारा जानबुझ कर तामिल होने ही नही दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किया गया है। जिसमें अपीलांट को विधिवत तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो मनमाना, विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आलोच्य आदेश की आड़ में रेस्पों. रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रहे है, जिससे अपीलांट उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना एकतरफा पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट के अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा एवं अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई की जानी संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट के प्रश्नगत रास्ता प्रकरण संख्या 52/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 की पालना में अपीलांट्स को रास्ता खोलने की छुट प्रदान करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट्स की धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन आदेश में एकतरफा पारित किया गया है जिसमें अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तथ्यों पर गौर किये बिना व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सुने ही एकतरफा आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को प्रश्नगत रास्ता प्रकरण संख्या 52/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 की पालना में रास्ते को बाधित किया जाता है तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण में आदेशित रास्ते का खसरा संख्या 1020/10 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 23/2026 बउनवान महेन्द्र व अन्य बनाम मौहम्मद मंजूर वगैरह	नम्बर व त अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु

0.2104 हेक्टेयर जो वर्तमान में प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.06.2025 की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होने से उक्त खसरा रास्ते के रूप में दर्ज हो गया है। जो राजकीय खाते में दर्ज है। वर्तमान में अपीलाधीन आदेश की आड़ में रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है जो हाजा न्यायालय की राय में उचीत प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 281/2018 बउनवान मोहम्मद मंजूर बनाम मेहन्द्र वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2025 में विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 52/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 की राजस्व रेकर्ड में पालना एवं मौके पर रास्ता खोलने की छूट प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली उक्तानुसार फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

(ओमप्रकाश, विश्नोई),
प्रथम श्रेणी अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर